रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 2003/फाल्गुन 12, 1924
No. 214] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2003/PHALGUNA 12, 1924

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2003

का.आ. 251(अ).—केन्द्र सरकार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के खंड 3 और धारा 5 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को आकस्मिक रिक्तियों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करती है तथा इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 2-5-2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 431(अ) में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है। नामश :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 5, 15 और 16 और इनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं एवं प्रविष्टियां क्रमानुसार प्रतिस्थापित की जाएंगी। नामश :—

"5.	श्री हेम पांडे संयुक्त सचिव, कोयला एवं खान मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
15.	श्री एस. वी. नरसिम्हा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, मद्रास रिफायनरीज लि., चेन्नई	सदस्य
16.	श्री एस. एल. कपूर निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, नई दिल्ली	सदस्य"

[फा. सं. क्यू-15014/1/90-सी पी डब्ल्यू (खण्ड-II)]

सी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का.आ. 431(अ) दिनांक 2 मई, 2000 के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा तदुपरान्त दिनांक 14 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 897(अ) के माध्यम से इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2003

S.O. 251(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 and sub-section (6) of Section 5 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby nominates, with effect from the date of publication of this notification, the following persons as the members of the Central Pollution Control Board against the casual vacancies therein and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 431(E) dated 2-5-2000, namely :—

In the said notification for serial numbers 5, 15 and 16 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely :—

"5.	Shri Hem Pande, Joint Secretary, Ministry of Coal and Mines, New Delhi.	Member
15.	Shri S. V. Narasimhan, Chairman-cum-Managing Director, Madras Refineries Limited, Chennai.	Member
16.	Shri S. L. Kapoor, Director, National Thermal Power Corporation, New Delhi.	Member.".

[F. No. Q-15014/1/90-CPW (Vol. II)]

C. VISWANATH, Jt. Secy.

Note.—The notification reconstituting the Central Pollution Control Board was published in the Gazette of India vide number S.O. 431(E), dated 2nd May, 2000 and subsequently amended vide No. S.O. 897(E), dated 14th August, 2002.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.